न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 458/2017
तारीख दायरा :– 20.11.2017

प्रार्थीगण :–

1. मृतक भबुतराम पुत्र चुन्नीलालजी के वारिसान :–
   1/1– लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. भबुताराम
   1/2– बंशीलाल पुत्र स्व. भबुताराम
   1/3– जसोदा पुत्री स्व. भबुताराम
   1/4– सरसो पुत्री स्व. भबुताराम
   1/5– दिनेश पुत्री स्व. भबुताराम
   1/6– मगाराम पुत्र स्व. भबुताराम

जातिगण – माली निवासीगण–घाणेराव तहसील–देसूरी(पाली)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला–पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील श्री शान्तनु कुमार।
2– अप्रार्थी की ओर से – श्री ईश्वरसिंह, नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :– **दिनांक– 29.07.2021**

प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली के नये खसरा नम्बर 125 में से रकबा 0.8000 हेक्टर कृषि भूमि संलग्न नक्शा की फोटो प्रति में मार्क ए, बी, सी, डी बरंगलाल से दर्शित जिसके पुराने खसरा नम्बर 36/8 रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थी की आवंटन सुदा कब्जा सुदा विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कदीम से आज तक पुश्तैनी कब्जा काश्त शांतिपूर्वक तक चला आ रहा है। प्रार्थी ने भूमि में सुधारात्मक कार्य कर काबिल काश्त बताया। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी के नाम आवंटन आदेश दिनांक 25.01.1983 को उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जारी कर भूमि आवंटन की गई। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम आवंटन होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम का इन्द्राज नहीं किया गया। जिससे प्रार्थी इन्द्राज दुरस्ती करवा कर वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी इन्द्राज दुरस्ती करवार कर वादग्रस्त आराजी के नाम खातेदारी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:54 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी कुछ समय पूर्व वादग्रस्त आराजी पर के.सी.सी. योजना के तहत ऋण हेतु पटवारियों के पास नकले लेने गया तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 458/17 अनवान स्व. मबूतराम के का.मु लक्ष्मीदेवी वगैरह बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. अधिनियम.............

अराजी जो आंवटन सुदा है, प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की दर्ज सुदा नहीं है। तत्पश्चात ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अब प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ मूल आवंटन आदेश, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2009 से 2028, जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 वर्तमान प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खसरा नम्बर 125 में से रकबा 0.8000 हेक्टर कृषि भूमि का संलग्न नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी बरंगलाल रेखा से दर्शित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी की दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं नक्शा में तरमीम करने का आदेश करावें।

प्रार्थी की मृत्यु होने से वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 3 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। जिस पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने के आदेश दिये गये एवं संशोधित शीर्षक को पत्रावली पर लिया गया।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 125 रकबा 1.71 हेक्टर सम्वत् 2066–2069 भूमि काबिल काश्त राजस्व रेकर्ड सिवायचक दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस समायत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की आवंटित सुदा भूमि है। जिस पर वक्त आवंटन से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि दर्ज के आदेश प्रदान करावें। पैरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 125 राजकीय सिचायचक भूमि दर्ज है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगएव एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, देसूरी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ख0न0 125 मे से रकबा 0.8000 हेक्टर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की परिभाषा में नहीं आना पाया जाता है एवं न ही सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि में शुमार है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:17:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)